

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1180]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 1180]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

का.आ.1749(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 एवं 39 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4), (5), (6) एवं (7) में क्रमानुसार उल्लिखित जिलों, तालुका, पुलिस स्टेशन एवं गाँवों से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम 3 में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इसके साथ-साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 36 और 39 (दीमापुर बाई पास) पर भूमि का अर्जन

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूखण्ड	जिला	तालुक	पुलिस स्टेशन	गाँव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	संयुक्त सचिव (राजस्व), कारबी अंगलॉग, स्वायत्त परिषद, कारबी अंगलॉग, दिफु, असम	118.00 किमी. से 132.400 तक			दिलाय	I. नहारजन ब्लॉक सं.1 II. नहारजन ब्लॉक सं.2 III. चोटो लेंगरीजन
			कारबी अंगलॉग	बोरजन	खटखटी	IV. बोरलेंगरीजन ब्लॉक सं.2 V. लेंगरीजन टी.ई. VI. बालीजन एन.सी. VII. कारागाँव ब्लॉक सं.1 VIII. कारागाँव ब्लॉक सं.2 IX. कारागाँव ब्लॉक सं.3 X. कारागाँव ब्लॉक सं.4 XI. लाहोरीजन टी.ई.सं.1 XII. लाहोरीजन टी.ई.सं.2 XIII. लाहोरीजन सी-1 XIV. लाहोरीजन सी-2

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/असम/दीमापुर बाईपास/एलए/एसएआर डीपी-एनई/2016-17]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, 12th May, 2016

S.O.1749(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Scheduled annexed hereto as the competent authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluk, police station and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening / four- laning, etc.) maintenance, management and operation of the National Highway No. 36 & 39 in the state of Assam.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 36 & 39 (Dimapur by pass) in the state of Assam

S. No.	Competent authority	Stretch of land	District	Taluk	Police station	Name of village
1	2	3	4	5	6	7
1	Joint Secretary (Revenue), Karbi Anglong Autonomous Council, Karbi Anglong, Diphu, Assam	118.00 km to 132.400	Karbi Anglong	Borjan	Dilai	i) Naharjan Block No. 1
						ii) Naharjan Block No. 2
						iii) Choto Lengrijan
					Khatkhati	iv) Bor Lengrijan Block no. 2
						v) Lengrijan T.E.
						vi) Balijan N.C.
						vii) Karagaon Block no. 1
						viii) Karagaon Block no. 2
						ix) Karagaon Block no. 3
						x) Karagaon Block no. 4
						xi) Lahorijan T.E. no. 1
						xii) Lahorijan T.E. no. 2
						xiii) Lahorijan C – 1
						xiv) Lahorijan C - 2

[F. No. NHIDCL/Assam/Dimapur bypass/LA/SARDP-NE/2016-17]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.